भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006
बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

पत्रावली क्रमांक:07(ii)07/CS/FP Auction/2020-21/ 5733 दिनांक: 01.11.2020.

2

खुली नीलामी सूचना

संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र मे खेजड़ी के लगाभग 500 पेड़ो की कटाई छटाई (पृनिंग) करके लूंग व जलाने के लिए लकड़ी एवं बेर लगभग 100 झाडियो को कटवाना **की खुली नीलामी (दिनांक 10.11.2020 को सुबह 11.30 बजे) के विस्तृत नियम व शर्त।**

1. सब्जी प्रखण्ड खेजड़ी प्रखण्ड एवं संस्थान के मुख द्वार से द्वितीय द्वार के मध्य स्थित कलिकयान युक्त खेजड़ी के वृक्ष नीलामी में सम्मिलित नही है ।
2. खेजड़ी व बेर की झड़ियो की लूंग एवं कटाई छटाई के उपरांत प्राप्त लकड़ी अनुबंध कर्ता की होगी । खेजड़ी की पतली शाखाओ को ही काटना होगा तथा मोटी शाखाये काटना वर्जित होगा ।
3. कटाई छटाई, लूंग झड़ने एवं लूंग व लकड़ी बाहर ले जाने का कार्य अनुबंध कर्ता को संस्थान के कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक ही करने की अनुमति होगी । रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में कार्य नही होगा । संस्थान में कार्यरत बंदी श्रमिकों को खेजड़ी व बेर की झड़ियो की लूंग एवं कटाई छटाई के लिये नही लगाया जायेगा होगा अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा । लकडियॉं को बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है । कटाई छटाई, लूंग झड़ने एवं लूंग व लकड़ी बाहर ले जाने का कार्य 30 दिवस में पूर्ण करना होगा ।
4. उपरोक्त कार्य के लिये संस्थान द्वारा किसी प्रकार का कोई संसाधन उपलब्ध नही करवाया जायेगा ।
5. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रुप में रु. 5000/- नीलामी हेतु जमा कराने होंगे ।
6. जिस व्यक्ति के नामे से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक तिहाई (33 प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष दो तिहाई राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी । तत्पश्चात ही सफल बोली दाता को कार्य प्रारंभ करने का अधिकार पत्र जारी किया जायेगा ।
7. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की संपूर्ण राशि जमा करवानी होगी अन्यथा बयाना राशि व 33 % राशि जब्त करली जायेगी ।
8. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि खेजड़ी व बेर की झड़ियो की लूंग एवं कटाई छटाई लेते समय संस्थान की अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। प्रक्षेत्र में आग जलाना प्रतिबंधित होगा । यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।
9. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के कर इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा ।
10. किसी भी प्राकृतिक आपदा एवं अन्य किसी भी कारण, खेजड़ी व बेर की झड़ियो की लूंग एवं कटाई छटाई को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी।
11. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) सुखी लकडी को ले जाने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अदेयता प्रमाणपत्र (No dues Certificatte) जारी करने पर किया जायेगा । इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

कृऊप

Sh. B.R. Khatri

12. लूंग व खेजड़ी की च्दिया को अनुसंधान प्रखंडों से हटाकर अन्य रिक्त स्थान पर एकत्रित करना होगा साथ ही मुख्य सडक किनारे उपरोक्त सामग्री की एकत्रित नही किया जावेगा |

13. संस्थान के किसी भी अनुसंधान प्रखण्ड एवं संस्थान की अन्य संपत्ति, पाइप लाइन, तार बंदी, पौधों इत्यादि को अनुबंधक एवं उसके श्रमिकों द्वारा कोई क्षति न पहुचाइ जाये, अन्यथा इसके लिये अनुबंधक उत्तरदायी होगा एवं इसकी भरपाई अनुबंधक से की जावेगी।

14. अधिकतम बोली दाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवंउनका निर्णय अंतिम होगा |

02.11.2020

प्रशासनिक अधिकारी

सूचनार्थः

1. नोटिस बोर्ड कार्यालय भाकृअनुप-केशुबासं,बीकानेर, ।
2. नोटिस बोर्ड प्रक्षेत्र कार्यालय, भाकृअनुप-केशुबासं,बीकानेर ।
3. प्रभारी, ए.के.एम.यु.,भाकृनुप-केशुबासं, बीकानेर - संस्थान की वैब साईट व CPP-NIC Portal पर अपलोड करने हेतु।